अमेरिकी विदेश मंत्री के लिए निक्की हेली भी दौड़ में

वाशिंगटन, 17 नवंबर (भाषा)।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में अमेरिका के विदेश मंत्री के पद के लिए दक्षिण कैरोलिना की भारतीय अमेरिकी गवर्नर निक्की हेली के नाम पर विचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में गुरुवार को यह दावा किया गया।

रिपब्लिकन पार्टी का उभरता सितारा मानी जा रही 44 वर्षीय निक्की ने रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव में सीनेटर मार्को रुबियो को समर्थन दिया था लेकिन निक्की आम चुनाव से पहले ट्रंप के समर्थन में आगे आई थीं और उन्होंने कहा था कि वे न्यूयार्क के अरबपति कारोबारी को वोट देंगी।

भारतीय प्रवासियों की बेटी निक्की को यदि मंत्री पद के लिए चुना जाता है तो वे ट्रंप के कैबिनेट में नस्ली व लैंगिक विविधता दोनों लेकर आएंगी। रिपोर्टों और सूत्रों के अनुसार न्यूयार्क के पूर्व मेयर रूडी गुइलियानी भी इस पद के मजबूत दावेदार हैं। ट्रंप के सत्ता हस्तांतरण दल के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने बुधवार रात संवाददाताओं के साथ एक कांफ्रेंस कॉल में उन उम्मीदवारों की सूची में 44 वर्षीय निक्की का भी नाम लिया जिनकी जल्दी ही ट्रंप से मुलाकात होने वाली है।

निक्की हेली

इसके अलावा 70 वर्षीय ट्रंप पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर, जनरल (सेवानिवृत्त) जैक कीन, एडमिरल माइक रोजर्स और केन ब्लैकवेल समेत कई लोगों से मुलाकात करेंगे।

इनमें से कुछ बैठकों का संबंध कैबिनेट के संभावित सदस्यों को चुनने से हैं और कुछ बैठकों का मकसद विचार साझे करना और विचार विमर्श करना है। ट्रंप के एक निकट सहयोगी ने इससे पहले बताया था कि निक्की के नाम पर विदेश मंत्री समेत कैबिनेट के किसी पद के लिए विचार किया जा रहा है। दक्षिण कैरोलिना के लेफ्टिनेंट गवर्नर हेनरी मैकमास्टर ने 'द पोस्ट एंड कूरियर' से कहा कि ट्रंप हमारी सरकार में इस प्रकार नई सोच के लोगों को लाना चाहते हैं। समाचार पत्र ने और कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई। ट्रंप के सत्ता हस्तांतरण दल ने अभी इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि कैबिनेट के विभिन्न पदों के लिए किन नेताओं को चुना जाएगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने स्वयं ट्वीट किया था कि केवल वह अंतिम सूची के बारे में जानते हैं। मैक्मास्टर ने ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के तत्काल बाद ट्रंप की टीम से बातचीत शुरू कर दी थी।

उन्होंने दक्षिण कैरोलिना के स्थानीय समाचार पत्र को बताया कि विदेश मंत्री समेत कैबिनेट के विभिन्न पदों के लिए राज्य की पहली महिला गवर्नर और पहली भारतीय अमेरिकी महिला गवर्नर निक्की के नाम पर विचार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट पर न तो दक्षिण कैरोलिना गवर्नर के कार्यालय और न ही ट्रंप के सत्ता हस्तांतरण दल ने कोई प्रतिक्रिया दी है।दक्षिण कैरोलिना में इस समाचार का स्वागत किया गया है लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक ने इस प्रकार के प्रस्ताव को लेकर संशय व्यक्त किया है। कॉलेज ऑफ चार्ल्सटन में राजनीतिक शास्त्री केंड्रा स्टीवर्ट ने कहा कि विदेश मंत्री का पद निक्की की विशेषज्ञता क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा परे है।

पेरिस में मल्लिका सहरावत से लूट

पेरिस, 17 नवंबर (भाषा)।

बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका सहरावत को उनके पेरिस स्थित अपार्टमेंट के सामने तीन नकाबपोश लोगों ने पीटा और लूट लिया।

फ्रांस के अखबार ले पैरिसियन के हवाले से टेलीग्राफ ने लिखा है कि बदमाशों ने 40 वर्षीय अभिनेत्री और उनके पुरुष साथी पर आंसू गैस छोड़े और उन्हें पीटा। इस घटना के कुछ ही सप्ताह पहले पेरिस में रियलिटी टीवी स्टार किम करदाशियां को बदमाशों ने बंदूक के बल पर लूट लिया था। यह कथित घटना पिछले शुक्रवार की है जब रात 9.40 बजे दोनों मल्लिका के पेरिस स्थित आवास पर पहुंचे।बदमाशों ने नकाब पहना हुआ था और बिना कुछ बोले उन्होंने पीड़ितों पर आंसू गैस छोड़े और उन्हें घूसे मारे।

मोदी समेत दुनिया के करीब 30 नेताओं से ट्रंप ने की बात

वाशिंगटन, 17 नवंबर (भाषा)।

अमेरिकी आम चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के करीब 30 प्रमुख नेताओं से फोन पर बात की।

ट्रंप के सत्ता हस्तांतरण दल ने बताया कि 70 वर्षीय ट्रंप ने दुनिया के जिन नेताओं से सबसे पहले बात की उनमें मोदी शामिल हैं। दल ने बताया कि ट्रंप ने दुनिया के जिन नेताओं से बात की, उनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शामिल हैं।

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल से भी बात की। ट्रंप की ओर से ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद इन नेताओं की सूची जारी की गई। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया के कई नेताओं के साथ फोन पर बात की।

UFLEX

यूफ्लैक्स लिमिटेड

CIN : L74899DL1988PLC032166

रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पामपोष एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922

वेबसाईट : www.uflexltd.com

इमेल : flexsec@vsnl.net

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यूफ्लैक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 25 नवम्बर, 2016 को नोएडा में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2016 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित एंव अभिलेखित किया जाएगा।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com. पर भी उपलब्ध है।

यूफ्लैक्स लिमिटेड के लिये

हस्ता./-

अजय कृष्ण

बरि. वी.पी. (लीगल) एवं कम्पनी सचिव

ACS No.3296

पता : सी–001,कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी, ई–8, सेक्टर–61, नोएडा–201301

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 16.11.2016

सीरिया में अल कायदा के 30 लड़ाके मारे गए

मास्को, 17 नवंबर (एपी)।

रूस की सेना ने कहा है कि इस हफ्ते सीरिया में किए गए उसके एक हमले में सीरिया में अल कायदा से जुड़े एक समूह के कम से कम 30 सदस्य मारे गए हैं जिनमें उसके कुछ नेता भी शामिल हैं।रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनशेनकोव ने बताया कि हवाई हमला मंगलवार को सीरिया के उत्तरी प्रांत इदलीब में किया गया था।

ऑस्ट्रेलिया ने किया वीजा में बदलाव, भारतीय होंगे प्रभावित

मेलबर्न, 17 नवंबर (भाषा)।

ऑस्ट्रेलिया ने कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए '457 वीजा' कार्यक्रम में परिवर्तन की घोषणा की है जिससे अपने आधिकारिक नियोजन की समाप्ति के बाद दूसरी नौकरी खोजने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी और इससे यहां काम करने वाले भारतीयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस परिवर्तन के बाद '457 वीजा' वाले विदेशी श्रमिक अब अपना नियोजन खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में 90 दिन के बजाय 60 दिन ही रह पाएंगे।

आव्रजन मंत्री पीटर डुट्टन ने कहा, '19 नवंबर से उपवर्ग 457 वीजा धारी अपने नियोजन की समाप्ति के बाद जिस समयकाल के लिए रह सकता है उसे 90 दिन से घटा कर 60 दिन कर दिया गया है।'

डुट्टन ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ऑस्ट्रेलियाई कामगार को तरजीह मिले और अस्थाई वीजा धारकों के शोषण में कमी आए।

ऋण वसूली अधिकरण-II, चेन्नई के समक्ष

नं. 770-ए, देवा टावर्स, 4था तल, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002

ओ.ए. नं. 2016 का 538

भारतीय स्टेट बैंक

-------आवेदक

-बनाम-

मै. श्रीराम सीमेंट लि. एवं 3 अन्य

------प्रतिवादीगण

सेवा में,

मै. टी एंड एच एजुकेशन प्राईवेट लि., (पूर्व में टेक्प्रो पेन्ट्स प्राईवेट लि.)

106, विश्वदीप टावर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

साथ ही: के.आर. बिल्डिंग्स, I तल, नया नं. 12, पुराना नं. 124 ए, एल.बी. रोड, अडयार, चेन्नई-600020

महोदय,

ऊपर नामित आवेदक बैंक ने रु. 16,23,58,581.16 की राशि की वसूली के लिए आप तथा 3 अन्यों के विरुद्ध उपरोक्त मूल आवेदन दाखिल किया है। माननीय पीठासीन अधिकारी, डीआरटी-II, चेन्नई ने आदेश दिया है कि 09.12.2016 को सुनवाई के लिए अखबार में प्रकाशन द्वारा आपके लिए नई सूचना जारी की जाए।

कृपया ध्यान रखें तथा 09.12.2016 को 11.00 बजे पूर्वा. में व्यक्तिगत अथवा वकील के माध्यम से माननीय ऋण वसूली अधिनियम-II, चेन्नई के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा उपरोक्त मूल आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई तथा निर्णय की जाएगी।

मै. रामालिंगम एंड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, आवेदक बैंक के सलाहकार,

नं. 315 (ओ. नं. 152), V तल, तम्बू चेट्टी स्ट्रीट, चेन्नई-600001

हिमाचल फ्यूचुरिस्टिक कम्युनिकेशंस लि.

CIN: L64200HP1987PLC007466

पंजी. कार्यालय: 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लैक्स, चंबाघाट, सोलन-173213 (हिमाचल प्रदेश)

Tel: 91-1792-230644,

Fax No. : 91-1792-231902

E mail: secretarial@hfcl.com,

Website: www.hfcl.com,

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (''सूचीयन विनियमन'') के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 28 नवंबर, 2016 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 सितंबर, 2016 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन के साथ ही साथ समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

उक्त सूचना कंपनी की वेबसाईट http://www.hfcl.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाईट http://www.bseindia.com तथा http://www.nseindia. com पर भी देखी जा सकती है।

''इन्साइडर्स द्वारा प्रतिभूतियों में विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता'' के उपबंध 5 के अनुसार संहिता के अंतर्गत आबद्ध विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग विन्डो 21 नवंबर, 2016 से 30 नबंवर, 2016 (दोनों दिवस सहित) तक उपरोक्त उद्घोषणा के सिलसिले में बंद रहेंगे। ये ट्रेडिंग विंडो 1 दिसंबर, 2016 से फिर से खुल जाएंगे।

हिमाचल फ्यूचुरिस्टिक कम्युनिकेशंस लि. के लिए

हस्ता./-

(मनोज बैद्य)

एसोसिएट उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट) एवं कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 17.11.2016

समक्ष केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30(6)(अ) के मामले में

- तथा -

सोहा इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : लेवल 2, एलिगेन्स टावर जसोला, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110025, नई दिल्ली में अवस्थित है, के मामले में

..... आवेदक

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 25 अक्तूबर, 2016 को आयोजित विशेष आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के पुष्टीकरण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को एक आवेदन दाखिल करेगी ताकि कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से ''पश्चिम बंगाल राज्य'' में करने का अधिकार प्राप्त हो जाए।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित हो, तो वह हलफनामे में विरोध के आधार व प्रभावित होने वाले अपने/ अपनी हित की प्रकृति का जिक्र कर अपने/अपनी आपत्ति इस सूचना की प्रकाशन तिथि से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामले का मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को दाखिल करें अथवा पंजीकृत डाक से उनके पास पहुंच जाए तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को भी उपर्युक्त उल्लिखित पते पर अवश्यित उसके पंजीकृत कार्यालय में भिजवाएं।

वास्ते तथा आवेदक की ओर से

सोहा इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/-

(दीपक)

निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25.10.2016 DIN : 06967854

MARUTI SUZUKI

मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

CIN : L34103DL1981PLC011375

पंजी. कार्या. : प्लॉट नं.1, नेल्सन मंडेला रोड,वसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070

फोन: +91 (11) 46781000; फैक्स: +91 (11) 46150275

वेबसाइट: www.marutisuzuki.com; ई-मेल: investor@maruti.co.in

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारको के ध्यान के लिए)

विषय : निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) सस्पेंस खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और रिफण्ड) नियम, 2016 ("नियम") 7 सितंबर, 2016 से प्रभावी, के तहत प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित हुई है। अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और सरंक्षण कोष (आईईपीएफ) सस्पेंस खाते के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कम्पनी ने ऐसे सभी शेयरो के धारकों को जिनके शेयर उक्त नियमों के तहत आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित होने संभावित हैं उन्हें उचित कार्यवाई करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है।

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ सस्पेंस खाते को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट www.marutisuzuki.com पर अपलोड कर दी है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेदावा लाभांश के विवरण और शेयरों जो आईईपीएफ सस्पेंस खाते को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वे वेबलिंक http://www.marutisuzuki.com/unclaimed-dividends.aspx देखें।

शेयरधारक ध्यान दें कि बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता हैं।

संबंधित शेयरधारकों से 15 दिसंबर, 2016 या ऐसी तारीख जब तक बढ़ाई जाए तब तक कम्पनी को कोई संचार प्राप्त न होने की परिस्थिति में, कम्पनी नियमों में वर्णित आवश्यकताओं के साथ पालन करने के दृष्टिकोण से, संबंधित शेयरों को आईईपीएफ सस्पेंस खाते को नियत तारीख पर हस्तांतरण कर देगी जैसे नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

अगर शेयरधारकों का इस विषय और नियमों पर कोई भी सवाल है, तो वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, श्री रवि शंकर शुक्ला, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गछीबावली, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500 032, फोन: 040-6716 2222, फैक्स:040-2300 1153; टोल फ्री नं.:1-800-34-54-001,ई-मेल: einward.ris@karvy.com;वेबसाइट: www.karvycomputershare.com से संपर्क करें।

मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिये

नई दिल्ली

17 नवम्बर 2016

एस रवि अय्यर

कार्यकारी निदेशक (विधि) एवं कम्पनी सचिव

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

"शिपिंग हाउस" 245, मादम कामा रोड, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

• Website: www.shipindia.com • Twitter: @shippingcorp

• CIN-No.: L63030MH1950GOI008033

SCI Navratna Company ISO 9001 - 2008 Company

30.09.2016 को समाप्त तिमाही तथा छमाही का अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

(राशि रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2016 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.09.2015 (अनंकेक्षित)	समाप्त छमाही 30.09.2016 (अनंकेक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	75,875	109,122	158,830
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(225)	18,083	7,041
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(225)	18,083	7,041
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(2,000)	16,183	3,591
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(803)	16,305	4,517
6	इक्विटी शेयर पूंजी	46,580	46,580	46,580
7	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)			
	मूलः	(0.43)	3.47	0.77
	तरलः	(0.43)	3.47	0.77

क. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल तिमाही /वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईटः www.shipindia.com पर उपलब्ध है।

ख. कम्पनी ने 1 अप्रैल, 2015 की ट्रांजीशन तिथि से कॉर्पोरेट क्रियाकलाप द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) को अंगीकार किया है। 30 सितम्बर, 2016 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुपालन में है। तदनुसार, 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों को उसे तुलनीय बनाने के लिए इंड-एएस के अनुपालन में पुनर्प्रस्तुत किया गया है।

ISO 9001 : 2008 APPROVED BY IRQS

स्थानः मुम्बई

तिथिः 16.11.2016

भारतीय नौवहन निगम लि. के लिए

हस्ता./-

कैप्ट. अनूप कुमार शर्मा

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

117

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए. जीवन को राह दिखाए

बिक्री उद्घोषणा

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 259/15 तिथिः 4/11/2016

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

आईडीबीआई बनाम महाराना एजुकेशन

सेवा में:

सीडी नं. 1. मै. महाराना एजुकेशन ट्रस्ट, द्वारा उसके संस्थापक ट्रस्टी तथा अध्यक्ष श्री सोमपाल सिंह, जिसका पंजीकृत कार्यालय 11/8, लाल क्वार्टर, लोहिया नगर गाजियाबाद में है तथा जिसका कॉलेज शारदा एकैडमी ऑफ मैनेजमेंट, 8वाँ माइल स्टोन, मेरठ-बागपत रोड, बागपत, उत्तर प्रदेश में है।

सीडी नं. 2. श्री सोमपाल सिंह, पुत्र श्री बाबा सिंह, निवासी 11/8, लाल क्वार्टर्स, लोहिया नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.

सीडी नं. 3. श्री वीरेन्द्र पाल गुप्ता, पुत्र श्री राम स्वरूप गुप्ता, निवासी, 517/8, गली नं. 8, विजय पार्क, मौजपुर, दिल्ली-110053

सीडी नं. 4. श्री जे.के. शर्मा, पुत्र श्री एच.एल. शर्मा, निवासीः 277, ए/5, दुर्गापुरी एक्स्टेंशन, लोनी रोड, दिल्ली-110093

सीडी नं. 5. श्री प्रशांत मित्तल, पुत्र श्री एस.एल. मित्तल, निवासी 64-बी, जगदीशनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.

सीडी नं. 6. श्रीमती मंजू गुप्ता, पत्नी श्री वीरेन्द्र पाल गुप्ता, निवासी 517/8, गली नं. 8, विजय पार्क, मौजपुर, दिल्ली-110053

सीडी नं. 7. श्रीमती अदिति राना, पत्नी श्री अंकुर राना, निवासी 11/8, लाल क्वार्टर, लोहियानगर, गाजियाबाद, उ.प्र.

सीडी नं. 8. श्री विकास बंसल, पुत्र श्री अशोक कुमार बंसल, निवासी ए.के. एंड कं. बाजार माधोदास, सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उ.प्र.

सीडी नं. 9. श्री प्रदीप कुमार राजपुर, पुत्र श्री महेश पाल सिंह, निवासी एस.एफ.-1, 4/ 131, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.

सीडी नं. 10. श्री गौरव बंसल, पुत्र श्री अशोक कुमार बंसल, निवासी ए.के. एंड कं. बाजार माधोदास, सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उ.प्र.

सीडी नं. 11. श्री अनुज गुप्ता, पुत्र श्री वीरेंद्र पाल गुप्ता, निवासी 517/8, गली नं. 8, विजय पार्क, मौजपुर, दिल्ली- 110053

सीडी नं. 12. श्री अनुज शिशोदिया पुत्र श्री सोमपाल सिंह, निवासी 11/8 लाल क्वार्टर्स, लोहियानगर, गाजियाबाद, उ.प्र.

जैसा कि आप ओए की तिथि अर्थात 18.4.2013 को उसकी वसूली तक लागत, खर्चे तथा 13% प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 42000/- की लागत के साथ पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा पारित ओ.ए. नं. 271/12 तिथि 17.08.2012 में तैयार की गई रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 39,65,076/- (रु. उन्तालिस लाख पैंसठ हजार छिहत्तर मात्र) की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में नीलामीकर्ता श्री बी.पी. नाहर, अधिवक्ता, मोबाईल नं. 8130765320, 9868154420 द्वारा 27.12.2016 को 11.00 बजे पूर्वा. में उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी। अधिक विवरणों के लिए संपर्क करें: सुश्री रीमा पाठक, बीएम, आईडीबीआई बैंक लि., जी.टी. रोड, गाजियाबाद, मोबाईल नं. 9810854530, लैंड लाइन नं. 0120-2700867, 2700830.

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी रु. 80 लाख है।
2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 2.00 लाख (रु. दो लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
4. रु. 8.00 लाख की ईएमडी का भुगतान नीलामी स्थल पर नीलामीकर्ता के पास रिकवरी अधिकारी-I डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल उक्त नीलामीकर्ता के पास उक्त तिथि तक पहुंच जाए।
5. सफल बोलीदाता को उसी तिथि को 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में देय डीडी/ पीओ द्वारा रिकवरी अधिकारी-I डीआरटी-III दिल्ली के पास भुगतान करना होगा।
7. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-I डीआरटी-II के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जा रही है।

अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

लाट नं.	सह. स्वामियों जहां जहां सम्पत्ति डिफॉल्टर तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है के नाम के साथ बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण
1.	ग्राम मीतली, परगना तथा तहसील एवं जिला बागपत में खसरा नं. 104 खसरा नं. 1908, माप क्षेत्रफल .25 वर्ग मी., कुल क्षेत्रफल माप 0.7590 हेक्टेयर्स में शामिल ग्राम मितली, परगणा, तहसील एवं जिला बागपत में स्थित संपत्ति अर्थात ''त्रिवेणी इंटरनेशनल स्कूल